[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2025

S.O._____. — In exercise of the powers conferred by section 4 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Ratnakar Patnaik (DOB: 24.03.1968), Executive Director (INVT – Front Office & CIO), Central Office, Mumbai as Managing Director (MD), LIC of India in the pay scale of Rs.2,05,400/- to Rs.2,24,400/- with effect from the date of assumption of charge of office on or after 01.06.2025 and upto the date of his superannuation (i.e. 31.03.2028), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-11011/07/2024-Ins. I]

(Neha Chauhan) Joint Director

[भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 🖊 मई, 2025

अधिसूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त का.आ. शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री रत्नाकर पटनायक (जन्म तिथि: 24.3.1968), कार्यपालक निदेशक (आईएनवीटी – फ्रंट आफिस एवं सीआईओ), केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई को दिनांक 1.6.2025 को या उसके पश्चात पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की तारीख (अर्थात 31.3.2028) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2,05,400 रुपए से 2,24,400 रुपए के वेतनमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद पर नियुक्त करती है।

(फा.सं. ए-11011/07/2024-बीमा-I) (नेहा चौहान)

संयुक्त निदेशक